

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

[ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी]

(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

गुरमेल सिंह आदि बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार श्रीकरणपुर
धारा अन्तर्गत 88 आरटीए मुकदमा नं. 104/2022

निर्णय दिनांक :- 06.06.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई स्वबरु उपखण्ड अधिकारी
(राजस्व) श्रीकरणपुर ब हाजरी वादी स्वयं पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी
जाती है कि -

वादपत्र वादीगण अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
1955 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 2 आर , पटवार
हत्का मोहलां, भू.अ.नि. क्षेत्र मलकाना कलां की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 79 के खाता
संख्या 41,48,53,74,86,54 में रहन एस.बी.बी.जे. शाखा केसरीसिंहपुर के स्थान पर
रहन एस.बी.आई. शाखा केसरीसिंहपुर दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त
खातो के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया
जावे।

आज दिनांक 06.06.2022 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व
न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

6

[सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)]

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
(राजस्व) श्रीकरणपुर जिला श्रीकरणपुर

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अरजोदावा	00	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	00	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प इचुटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	--
योग	00	00	योग	00	00

6

[सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)]

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
(राजस्व) श्रीकरणपुर जिला श्रीकरणपुर

क्रमांक: रीडर/ 2022/307

प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार
पालना कर, पालना रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

दिनांक: 06.06.2022



[सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)]

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
(राजस्व) श्रीकरणपुर जिला श्रीकरणपुर